मा0 एन0जी0टी0 द्वारा मूल आवेदन Miscellaneous Application No. 120/2024 in O.A. No. 271/2024 सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में निरीक्षण आख्या।

मा0 एन0जी0टी0 द्वारा Miscellaneous Application No. 120/2024 in O.A. No. 271/2024 सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 29.11.2024 के अनुपालन में मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, गांव टिकोला कला, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार का संयुक्त निरीक्षण दिनांक 13.12.2024 को किया गया। निरीक्षण के समय निम्नलिखित् अधिकारी उपस्थित थेः–

1. श्री कर्मेन्द्र सिंह, जिलाधिकारी, हरिद्वार।
2. श्री आशीष कुमार मिश्रा, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट, रूड़की।
3. डा0 राजेन्द्र सिंह, क्षेत्रीय अधिकारी, उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, रूड़की।
4. श्री विकास अवस्थी, तहसीलदार, रूड़की।

1. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई, गांव टिकोला कला, तहसील–रूड़की, जिला–हरिद्वार वर्ष 2003 से संचालित है। निरीक्षण के समय ईट भट्टा संचालन में नहीं पाया गया।
2. मै0 शिव ब्रिक सप्लाई द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत निर्देशों के अनुपालन में हाईड्राफ्ट तकनिकी में परिवर्तित कर दिया गया है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 शिव ब्रिक सप्लाई को Consolidated Consent & Authorization (CCA) निर्गत की गयी है जिसकी वैधता अवधि दिनांक 31.03.2027 तक है।
3. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा पर्यावरण (संरक्षण) नियम, 1986 के Schedule- I की Entry No. 74 में ईट भट्टों की स्थापना हेतु अधिसूचना दिनांक 22.02.2022 के अन्तर्गत मानक निर्धारित किये गये हैं। उक्त अधिसूचना के अनुसार ईट भट्टे से आबादी तथा फलों के बागों से दूरी 800 मी0 तथा मौजूदा ईट भट्टें से न्यूनतम 1 कि0मी0 की दूरी निर्धारित है।
4. निरीक्षण के समय अवगत कराया गया कि मा0 एन0जी0टी0 द्वारा O.A. No. सं0– 271/2024 सुशील त्यागी बनाम उत्तराखण्ड राज्य में पारित आदेश दिनांक 21.05.2024 के अनुपालन में मै0 शिव ब्रिक सप्लाई का निरीक्षण किया गया था, जिसमें ईट भट्टें से स्कूल एवं आबादी तथा समीपवर्ती तीन ईट भट्टों की दूरियों का मापन किया गया। मै0 शिव ब्रिक सप्लाई से स्कूल एवं आबादी की दूरियां क्रमशः 103 मी0 एवं 105 मी0 पायी गयी थी। मापन में समीपवर्ती ईट भट्टा मै0 राज ब्रिक्स से 588.54 मी0, मै0 पारस ब्रिक फील्ड से 480 मी0 तथा मै0 ओम ब्रिक फील्ड से 450 मी0 दूरियां पायी गयी।
5. उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा मै0 शिव ब्रिक सप्लाई की चिमनी से जनित उत्सर्जन का अनुश्रवण दिनांक 27.06.2024 को मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला के माध्यम से किया गया। अनुश्रण आख्या मानकों के अनुरूप पायी गयी।

13.12.2024
(विकास अवस्थी)
तहसीलदार, रूड़की।

(डा0 राजेन्द्र सिंह)
क्षेत्रीय अधिकारी,
उत्तराखण्ड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
रूड़की।

(आशीष कुमार मिश्रा)
ज्वाइंट मजिस्ट्रेट,
रूड़की।

13.12.24
जिलाधिकारी, हरिद्वार।